

16 रूप

वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी स्वयं

भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति वास्तु  
कोई कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-बार  
आवाज लगावाई गई। अतः यह वाद-पत्र अद्वय  
पैरवी अद्वय हाजिरी में खारिज किया जाता है।  
पहावली निर्णय में शुमार की जाकर  
नम्बर से कम हो तथा ~~तकमिल~~ ~~होकर~~ तरीक  
तकमिल होकर दाखिल वास्तु है।

५